

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना दिनांक: 24/02/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹20,13,35,600 (बीस करोड़ तेरह लाख पैंतीस हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लिए गए "सात निश्चय" योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्रांक 4630 दिनांक 06.07.2016, 5752 दिनांक 30.06.2017 एवं 35 दिनांक 27.03.2018 द्वारा निर्गत है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक 35 दिनांक 07.01.2025, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद का पत्रांक 279 दिनांक 10.02.2025, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का पत्रांक 714 दिनांक 11.02.2025, जिला पदाधिकारी, शिवहर का पत्रांक 884 दिनांक 18.10.2024 एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर का पत्रांक 205 दिनांक 11.02.2025, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी का पत्रांक 411 दिनांक 08.02.2025, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का पत्रांक 88 दिनांक 13.02.2025 तथा जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, पटना द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पारित आदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि की अधियाचना की गयी है। जिला कैमूर के ग्राम पंचायत में प्रगति यात्रा हेतु कार्यक्रम निर्धारित है। उक्त ग्राम पंचायतों में अवशेष गली-नाली का निर्माण किया जाना है।

3. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला पदाधिकारी, कैमूर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण एवं पटना को कुल ₹20,13,35,600 (बीस करोड़ तेरह लाख पैंतीस हजार छः सौ रुपये) मात्र की राशि की निम्नरूपेण स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(6)

Raj

(राशि रुपये में) ~

क्र०	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	शीर्षवार स्वीकृत राशि			
				16- 2515001980113	16- 2515007890112	16- 2515007960119	कुल (कॉलम 5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कैमूर	भगवानपुर	कसेर	2059392	2767308	1608900	64,35,600
2	पटना	दानापुर	लखनी बीगहा	1888000	2537000	1475000	59,00,000
3	जहानाबाद	मखदुमपुर	पुनहदा	6400000	8600000	500000	2,00,00,000
4	मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	रजला	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			किनारू	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			किशुनपुर मधुबन	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			बलौरडीह	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			लदौड़ा	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			शाहपुर मरिचा	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			पकाही	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			खरौनाडीह	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			हरिशंकर मनियारी	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			महंथ मनियारी	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			रतनौली	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			बसौली	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			चन्द्रहट्टी	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			केरमाडीह	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			सकरी सरैया	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			छाजन हरिशंकर पूर्वी	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			छितरौली	1920000	2580000	1500000	60,00,000
		बोचहॉ	मैदापुर	1920000	2580000	1500000	60,00,000
			शर्फदीनपुर	1920000	2580000	1500000	60,00,000
5	शिवहर	डुमरी कटसरी	जहांगीरपुर	2240000	3010000	1750000	70,00,000
			नयागाँव पश्चिमी	2240000	3010000	1750000	70,00,000
			महमदपुर कटसरी	2240000	3010000	1750000	70,00,000
			श्यामपुर	2240000	3010000	1750000	70,00,000
		तरियानी	तरियानी छपरा	2240000	3010000	1750000	70,00,000
6	सीतामढ़ी	सुप्पी	ससौला	3200000	4300000	2500000	1,00,00,000
7	पूर्वी चम्पारण	कोटवा	डुमरा	3200000	4300000	2500000	1,00,00,000
कुल :-				64427392	86574308	50333900	20,13,35,600

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या-16 के अंतर्गत राज्य योजना मद से निम्नरूपेण की जायेगी :-

क्र०	योजना शीर्ष	राशि (रुपये में)
1	“मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना”। विपत्र कोड-16-2515001980113 विषय शीर्ष-0113.31.05-सहायक अनुदान -परिसम्पत्तियों के निर्माण।	6,44,27,392

2	“मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0112-मुख्यमंत्री निश्चय योजना”। विपत्र कोड-16-2515007890112 विषय शीर्ष-0112.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण।	8,65,74,308
3	“मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0119-मुख्यमंत्री निश्चय योजना”। विपत्र कोड-16-2515007960119 विषय शीर्ष-0119.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण।	5,03,33,900
कुल		₹20,13,35,600

(बीस करोड़ तेरह लाख पैंतीस हजार छः सौ रुपये) मात्र

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो CFMS के माध्यम से राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करते हुए उक्त कंडिका-3 में अंकित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में अंतरित करायेंगे।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. ग्राम पंचायतों के द्वारा राशि का व्यय विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में e-panchayat Bihar Portal के माध्यम से व्यय किया जायेगा।

8. संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 573 दिनांक 16.01.1975 एवं एम० 04-15/2009-9736 दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम-271(ड) के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-3प/मु०मं०नि०यो०-19-04/2020 के पृष्ठ संख्या 58/टि० पर दिनांक 20.02.2025 को प्राप्त है।

11. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/मु०मं०नि०यो०-19-04/2020 के पृष्ठ संख्या 59/टि० पर दिनांक 22.02.2025 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन

24.2.25

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

Pai

ज्ञापांक : 3प/मु०मं०नि०यो०-19-04/2020/79(सी)/पं०रा० पटना, दिनांक- 24/2/25
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3प/मु०मं०नि०यो०-19-04/2020/79(सी)/पं०रा० पटना, दिनांक- 24/2/25
प्रतिलिपि: संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश की प्रति संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति इसकी प्रति ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायेंगे।

24/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3प/मु०मं०नि०यो०-19-04/2020/79(सी)/पं०रा० पटना, दिनांक- 24/2/25
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक/संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3प/मु०मं०नि०यो०-19-04/2020/79(सी)/पं०रा० पटना, दिनांक- 24/2/25
प्रतिलिपि: उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-05/प्रशाखा-06/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05/प्रशाखा-06/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3प/मु०मं०नि०यो०-19-04/2020/79(सी)/पं०रा० पटना, दिनांक- 24/2/25
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3प/मु०मं०नि०यो०-19-04/2020/79(सी)/पं०रा० पटना, दिनांक- 24/2/25
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

R